विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1(क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें मुहैया करायें जाने की वर्तमान में कोई कार्य-योजना है ?	जी, हां।
(ख)	क्या प्रदेश के अति पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक चिकित्सकों को भेज कर बढती मरीजों की संख्या का ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों को जागरूक कराते हुए उन्हें मूलभूत दवाईयॉ प्रदान किये जाने की भी कोई योजना है ?	जी, हां।
(ग)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगें ?	विवरण संलग्न है।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

कार्य योजना/विवरण

- प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से जन समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।
- साथ ही नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ए0एन0एम0 के द्वारा वी0एच0एस0एन0डी0 एवं समय-समय पर जनसमुदाय की आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य टीम के माध्यम से भी जन-समुदाय को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। उक्त गतिविधियों में निःशुल्क रूप से मरीजों के रोगों की पहचान, जांच एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- जन-समुदाय में स्वास्थ्य गतिविधियों की जागरुकता हेतु विभिन्न माध्यम जैसे-पोस्टर, फलैक्स, बैनर, नुक्कड़ नाटक, रेडियो, टी0वी0 आदि माध्यमों से प्रचार- प्रसार भी किया जाता है।
- साथ ही डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- 102 एवं 108 एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से मरीजों को चिकित्सा इकाई तक पहुंचाने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।
- साथ ही गंभीर आकस्मिकताओं हेतु ए0एल0एस0 (एडवांस लाइफ सपोर्ट) सेवा के माध्यम से निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 319 एफ0आर0यू0 क्रियाशील हैं।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों का मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन किया जाता है। मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा सप्ताह में 5 दिन स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा शनिवार को सी0एच0सी0 पर संदर्भित बच्चों के उपचार कराया जाता है।
- प्रदेश के 34 जनपदों में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में सघन अनुश्रवण किया जाता है।
- पी0पी0पी0/आउटसोर्सिंग के अंतर्गत डायलिसिस, सी0टी0 स्कैन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उक्त के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु संचालित किये जा रहें कार्यक्रम निम्नवत है :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषत: निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मिशन के उद्देश्यों में से मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसवोपरान्त माताओं की मृत्यु की संख्या को घटाना तथा शिशुओं की जन्म से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को कम करना। हर बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर

में सुधार लाना। साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी उद्देश्य मिशन के अंतर्गत निहित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित हैं :-

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम।
2. शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम।
3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
4. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।
5. परिवार नियोजन कार्यक्रम।
6. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम।
7. एम्बुलेन्स सेवाएं।
8. हेल्थ मेला।
9. कम्युनिटी प्रोस्सेस।
10. प्रधानमंत्री जन-मन योजना
11. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम।
12. राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स) :-
    - राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय वेक्टर बार्न रोग (मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू तथा कालाज़ार) की रोकथाम
    - जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम एव नियंत्रण
    - आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम।
    - राष्ट्रीय रैबीज नियन्त्रण कार्यक्रम आदि।
    - प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ लैप्टोस्पायरेसिस
    - नेशनल प्रोग्राम फार क्लाइमेट चेन्ज एण्ड ह्यूमन हेल्थ।
13. राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)।
    - राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम
    - कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज एवं स्ट्रोक का नियंत्रण एवं रोकथाम
    - वृद्धावस्था स्वास्थ्य उपचार
    - राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम
    - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम

- राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय फ्लूरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम।

1. मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाये :-

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित की जा रहीं हैं : -

जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओ को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/-व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/- एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/-सहायता राशि के रूप में दिये जाते है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियां एवं जॉच-ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान-

- "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को सभी राजकीय चिकित्सालयों में चलाया जा रहा है।
- अभियान का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।

2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम:-

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों का मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष में 01 बार एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य परीक्षण एवं 4 Ds (Defects at birth, diseases, deficiencies & developmental delays including disabilities) से ग्रसित बच्चों को चिन्हित कर निःशुल्क प्रबन्धन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेजों में संदर्भन किया जाता है।

3. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश) :-

पूर्ण प्रतिरक्षण

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों (टी0बी0, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस डायरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, मीजल्स, रूबेला, हिब न्यूमोनिया, मेनिनजाइटिस, न्यूमोकॉकल निमोनिया व जेपनीज एन्सेफेलाइटिस) तथा गर्भवती महिलाओं को टिटेनस एवं डिप्थीरिया से से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एच0एम0आई0एस0 डेटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि वर्ष 2022-23 में 98.39 एवं वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 96.45 है।

4. स्वास्थ्य मेलाः-

मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत लक्षित कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। साथ ही स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में लीफलेट्स/हैण्ड आउट्स भी उपलब्ध कराये जाते हैं।मेला/महोत्सव में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबधित विभागों द्वारा विषयगत अस्थायी स्टॉल की साज सज्जा तोरणद्वार, गुब्बारे, फूल, रंगोली आदि के द्वारा की जाती है।

मेला स्थल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किया जाता है, जहां पर आगन्तुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक आई0ई0सी0 सामग्रियों का उपयोग भी किया जाता है। मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित ऑडियो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाता है। मेला/महोत्सव में बैनर एवं स्टैण्डी लोक कला दल/विज्ञापन आदि के माध्यम से RMNCH+A एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाता है।

हेल्थ मेला का स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट हो ताकि औषधियों का वितरण सुलभता के साथ किया जा सके। जिला स्तर से आवश्यक दवायें आदि को पूर्व में मेला स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। सरकारी चिकित्सालयों व हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से जुडी आशा, ए.एन.एम., कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सकीय स्टाफ व विशेषज्ञों की हेल्थ मेलों में ड्यूटी लगाई जाती है। मेले में सेवा प्रदान करने हेतु चिकित्सकों, विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टॉफ, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर, ए0एन0एम0 व आशा की ड्यूटी निर्धारित की जाती है। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन माननीय सांसद/क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जाता है।

5. कम्युनिटी प्रोसेसः-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20022 स्वास्थ्य इकाईयों (17466 उपकेन्द्र एवं 2556 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है, आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के माध्यम से जनसमुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं यथा निवारक,

प्रोत्साहक, रोग निवारक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, साथ ही पुनर्वास सेवायें दिये जाने की योजना है। इन आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पर 12 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे-प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, संचारी एवं गैर संचारी रोग प्रबन्धन के अतिरिक्त 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का रक्तचाप, मधुमेह आदि एवं 03 प्रकार के सामान्य कैंसरों (मुख, स्तन एवं गर्भाशय) की स्क्रीनिंग भी की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से एन0एन0एम0 के अतिरिक्त एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग की शैक्षिक योग्यता के साथ सफलतापूर्वक सी0सी0एच0एन0 प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग विद इन्ट्रीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इन केन्द्रों पर तैनात किया गया है।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निदान सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में चिन्हित 14 प्रकार की जॉच सेवायें एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 63 प्रकार की जॉच सेवायें प्रदान की जा रही है। उक्त के साथ ही ई-संजीवनी के माध्यम इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। उपकेन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ आफिसर्स द्वारा चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार इन केन्द्रों हेतु चिन्हित ई0डी0एल0 के अनुसार औषधियॉ भी रोगियों को प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा/आयुष्मान मेले के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत/उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य मेले के माध्यम से जनसमुदाय को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार के साथ चिकित्सकीय परामर्श, औषधि वितरण, एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग, टेलीमेडिसिन, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाना एवं वितरण करना, प्रत्येक 05 साल की आयु से अधिक पात्र लाभार्थियों की ABHA ID (Ayushman Bharat Health Account), क्षयरोग के सम्भावित मरीजों की जॉच, सीकल सेल हेतु जॉच आदि स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है।